

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक- 378/मप्रविनिआ/2023, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 86 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, पुनरीक्षण-1, 2006 को निम्नानुसार पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करता है।

“मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, पुनरीक्षण 2023 {आरजी-19 (II) वर्ष, 2023}”

भाग -एक

सामान्य

- 1.1 ये विनियम “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय तथा अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, {आरजी-19 (II) वर्ष, 2023}” कहलायेंगे।
- 1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र स्थित समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू होंगे तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परम्परागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से किये गये अथवा प्रस्तावित समस्त विद्युत क्रय पर लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

भाग -दो

परिभाषाएं

- 2.1 इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);
 - ख) “आयोग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;
 - ग) “दीर्घ-कालीन विद्युत अधिप्राप्ति” से अभिप्रेत है किसी व्यवस्था या अनुबन्ध/करार के अधीन विद्युत की अधिप्राप्ति जिसकी समयावधि पांच वर्ष से अधिक हो ;
 - घ) “मध्यम-कालीन विद्युत अधिप्राप्ति” से अभिप्रेत है किसी व्यवस्था या अनुबन्ध/करार के अधीन विद्युत की अधिप्राप्ति जिसकी समयावधि तीन माह से अधिक तथा पांच वर्ष तक हो ;
 - ङ) “माह” से अभिप्रेत है ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार एक कलेण्डर माह ;

- च) "पावर एक्सचेंज" से अभिप्रेत है कोई विनिमय केन्द्र (एक्सचेंज) जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार विद्युत हेतु विद्युत विनिमय केन्द्र (पावर एक्सचेंज) के रूप में संचालित किया जा रहा हो ;
- छ) "विद्युत क्रय अनुबन्ध" से अभिप्रेत है प्राप्तिकर्ता(ओं) तथा विक्रेता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध जिसके अनुसार विक्रेता उसमें निर्दिष्ट किये गये निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार प्राप्तिकर्ता(ओं) को विद्युत की आपूर्ति करेगा ;
- ज) "विद्युत विक्रय अनुबन्ध" से अभिप्रेत है किसी विद्युत क्रय अनुबन्ध के अधीन क्रय की गई विद्युत के अनुवर्ती विक्रय हेतु क्रेता इकाई(यों) तथा मध्यस्थ प्राप्तिकर्ता/व्यापारी के मध्य निष्पादित पृष्ठासन्न (बैक-टू-बैक) अनुबन्ध ;
- झ) "लघु-अवधि विद्युत अधिप्राप्ति" से अभिप्रेत है किसी व्यवस्था या अनुबन्ध/करार के अधीन विद्युत की अधिप्राप्ति जिसकी समयावधि तीन माह तक सीमित हो ; और
- ञ) "वर्ष" से अभिप्रेत है एक वित्तीय वर्ष जो वर्ष के एक अप्रैल से प्रारंभ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है के वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में या आयोग द्वारा विनियमों/संहिताओं में इनके लिये समनुदेशित किये गये हैं। इन विनियमों/संहिताओं में इनके बारे में कोई विसंगति पाये जाने पर अधिनियम में इनके लिये समनुदेशित अर्थ अभिभावी होंगे।

भाग -तीन

विद्युत अधिप्राप्ति योजना

- 3.1 वितरण अनुज्ञापतिधारी अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र की विद्युत आवश्यकता को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए मितव्ययितापूर्वक आपूर्ति संसाधनों के अनुकूलन हेतु पांच वर्षों की अवधि हेतु विद्युत अधिप्राप्ति योजना तैयार करेगा तथा आयोग को प्रति वर्ष आगामी वर्षों हेतु प्रक्षेपणों तथा योजनाओं को पुनरीक्षित करते हुए क्रमिक (रोलिंग) पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करेगा। योजना में इन विनियमों के अनुरूप मांग-आपूर्ति की स्थिति के अनुसार दीर्घ-अवधि, मध्यम-अवधि तथा लघु-अवधि स्रोतों को सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 3.2 विद्युत अधिप्राप्ति योजना विद्युत की मांग तथा ऊर्जा की आवश्यकता के संबंध में निम्न के साथ दीर्घ-अवधि/मध्यम-अवधि/लघु-अवधि विद्युत क्रय अनुबन्धों/व्यवस्थाओं को विकसित करने हेतु विचार करते हुए एक दीर्घ-अवधि पूर्वानुमान होगी :
- क) राज्य के स्वामित्व वाले पुराने तथा नवीन उत्पादन स्रोत ;
- ख) केन्द्रीय क्षेत्र के संयन्त्र ;
- ग) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) ;
- घ) आबद्ध (केप्टिव) विद्युत संयन्त्र ;

- ड) नवीकरणीय विद्युत संयंत्र, सहउत्पादन संयंत्रों को सम्मिलित करते हुए ;
- च) पावर ट्रेडिंग कम्पनियां ;
- छ) बाजार (मार्केट)/पावर एक्सचेंज के माध्यम से अधिप्राप्ति ;
- ज) भण्डारण विकल्प जैसे कि बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, पम्प भण्डारण परियोजनाएं आदि;
- झ) अन्य राज्यों के साथ विद्युत का अधिकोषण (बैंकिंग) ; और
- ञ) अन्य कोई स्रोत।

भाग -चार

विद्युत अधिप्राप्ति नियोजन हेतु संरचना

- 4.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रति वर्ष 31 जुलाई को या उससे पूर्व आयोग को आवश्यक सहायक प्रलेखों तथा प्रारूपों के साथ (इन विनियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार) विद्युत अधिप्राप्ति योजना प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रारंभिक विद्युत अधिप्राप्ति योजना को मप्रविनिआ बहुवर्षीय विद्युत-दर (टैरिफ) विनियमों की नियन्त्रण अवधि से संरेखित समयावधि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

- 4.2 पंचवर्षीय क्रमिक (rolling) योजना में निम्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा :

- क) प्रत्येक वर्ष हेतु श्रेणीवार मासिक विक्रय मय मासिक तथा वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)।
- ख) राज्य के स्वामित्व वाले विद्युत उत्पादन केन्द्रों से मासिक तथा वार्षिक उपलब्धता का आकलन तथा समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्रों अथवा स्रोतों, जिनके साथ अनुज्ञप्तिधारी का दीर्घ-अवधि/मध्यम-अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध है, से विद्युत क्रय का विवरण।
- ग) व्यस्ततम (पीक) तथा अव्यस्ततम (ऑफ पीक) अवधियों दैनिक/मासिक भार वक्र के अनुसार पर विचार करते हुए मांग-आपूर्ति अंतर का मूल्यांकन तथा विद्युत कमी को पाटने हेतु योजना तथा तदनुसार संसाधन नियोजन संबंधी योजनाएं।
- घ) यथासंशोधित मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण-द्वितीय) विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (आरपीओ) की पूर्ति हेतु अनुमोदित आरपीओ प्रक्षेप वक्र (ट्रेजेक्टरी) पर विचार करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा।
- ड) मांग पूर्वानुमान तथा उपलब्धता का आकलन निम्न विनियमों 4.5 से 4.21 में दर्शाये गये विस्तृत वर्णन के अनुसार किया जाएगा।

च) पूर्व वर्षों हेतु प्रस्तुत किये गये अनुसार प्रक्षेपणों से विचलन ऐसे विचलन हेतु दिये गये कारणों के साथ ।

4.3 योजना का परीक्षण करते समय आयोग ऐसी अतिरिक्त जानकारी/सूचना तथा आंकड़ों (डाटा) की मांग कर सकेगा जैसा कि वह विद्युत अधिप्राप्ति योजना के परीक्षण हेतु उचित समझे तथा वितरण अनुज्ञापिधारी, जैसे तथा जब आयोग द्वारा चाहे जाने पर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा । तकनीकी प्रमाणीकरण के दौरान अनुज्ञापिधारी विद्युत अधिप्राप्ति पूर्वानुमान क्रियाविधि को प्रदर्शित करेगा ।

4.4 आयोग अनुज्ञापिधारियों द्वारा प्रस्तुत योजना को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करेगा ।

क. मांग तथा ऊर्जा पूर्वानुमान

4.5 मांग तथा ऊर्जा की आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु पूर्वानुमान न्यूनतम पूर्व 7 से 10 वर्षों के वास्तविक आंकड़ों के रूझानों तथा सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित होगा ।

4.6 पूर्व समयावधि में वर्ष दर वर्ष विकास/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) तथा समय श्रेणियों के विश्लेषण पर विचार करते हुये श्रेणीवार {खुदरा आपूर्ति विद्युत-दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार} मासिक विक्रय के साथ मासिक तथा वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया जाएगा । अनुज्ञापिधारी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के खपत प्रतिदर्श (पैटर्न) को समझने तथा उनके उपयोगों में विविधता मांग वक्र को विद्युत उपलब्धता वक्र के साथ संरेखित करने में किस प्रकार सहायता प्रदान करती है को समझने हेतु भार अनुसंधान अध्ययन (लोड रिसर्च स्टडीज) कार्यान्वित करेगा ।

4.7 मांग का पूर्वानुमान लगाते समय :

1) अनुज्ञापिधारी वास्तविक आँकड़ों की प्राप्ति हेतु मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करेगा, इसके लिये वह विधियों जैसे आंशिक अन्तिम उपयोग विधि (PEUM) अथवा अन्य प्रादर्श जैसे कि, आर्थिक मानदण्डों यथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, उपकरणों का प्रवेश, विद्युत-उन्मुख उद्योगों का विकास, इत्यादि का उपयोग करते हुये किये गये अर्थमितीय (इकॉनोमेट्रिक) विश्लेषण इत्यादि को अंगीकार ।

2) मांग तथा ऊर्जा आवश्यकता का पूर्वानुमान राज्य विशिष्ट वैयक्तिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस) उपकरणों द्वारा गहन (डीप)/मशीन लर्निंग के उपयोग से भी लगाया जा सकेगा ।

3) तकनीकी प्रमाणीकरण के दौरान प्रति वर्ष विद्युत अधिप्राप्ति योजना के साथ उपयोग किये गये उपकरण की प्रभावोत्पादकता को परिशुद्धता में सुधार लाने बाबत किये गये उपायों सहित आयोग के साथ साझा किया जाएगा ।

4.8 महत्वपूर्ण त्योहारों, कार्यकारी या गैर-कार्यकारी दिवसों, व्यस्ततम (पीक) तथा अव्यस्ततम (ऑफ पीक) घंटों के भार स्वरूप, मौसमी परिवर्तनों, रबी/खरीफ मौसम के प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा ।

4.9 उपभोक्ता श्रेणियों के विक्रय को प्राक्कलित करते समय अनुज्ञापिधारी विभिन्न श्रेणियों हेतु उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, संयोजित भार (किलोवाट) में प्रत्याशित वृद्धि, भार में वृद्धि/भार में कमी/नवीन संयोजनों/संयोजन विच्छेदों हेतु प्रस्तुत आवेदनों तथा प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु माहवार विद्युत

- खपत पर विचार करेगा। शासकीय निकायों, जैसे कि जलकार्य (वाटर वर्क्स), कृषि आदि से प्राप्त की गई निविष्टियों (इन्पुट्स) पर भी विचार किया जाएगा।
- 4.10 कृषि भारों के बारे में सीजन अनुसार भार परिवर्तन, तापमान, क्षेत्रवार वर्षा प्रतिमान (रूझान) में परिवर्तन, कृषि क्षेत्रों में जलस्तर के प्रभाव, सिंचाई सुविधाएं, क्षेत्रवार फसल के प्रकार, जैसे कि धान, जीरा, मूंग, आदि, कृषि भारों हेतु विद्युत आपूर्ति प्रतिमान तथा कृषि मौसम के दौरान उनकी आवश्यकता के सटीक आकलन हेतु भार प्रतिमान में घटत-बढ़त को ध्यान में रखा जाएगा। यदि एक से अधिक फसल प्राप्त की जा रही हो तो इसके प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा।
- 4.11 विद्युत वितरण कम्पनियों से विद्युत की अधिप्राप्ति करने वाले ऐसे अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को किये जा रहे विक्रय पर विचार करते हुए विद्युत वितरण कम्पनियों की मांग के बारे में एक्सबस आवश्यकता तथा ऊर्जा पूर्वानुमान का आकलन भी किया जाएगा।
- 4.12 मांग तथा ऊर्जा की आवश्यकता के प्राक्कलन के दौरान अन्य कारक पर विचार किया जाना आवश्यक है, जिनपर निम्न का प्रभाव निहित है :
- क) भण्डारण क्षमताएं, जैसे कि बैटरियां, पम्प भण्डारण परियोजनाएं, विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र, आदि ;
- ख) रेलवे तथा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को विद्युत का विक्रय ;
- ग) विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये गये विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्र ;
- घ) क्रियान्वित की गई ऊर्जा दक्ष योजनाएं ;
- ङ) मांग-परक प्रबन्धन, मांग प्रतिसाद (डिमांड रेस्पॉन्स) कार्यक्रम जैसे कि सौर संसाधन के अधिकतम उपयोग हेतु गैर-सूर्य प्रकाश घंटों से सूर्य प्रकाश घंटों की ओर तत्समय भार का स्थानान्तरण ; और
- च) मध्यप्रदेश शासन/केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई नवीन योजनाओं के कारण मांग।
- ख. उपलब्धता का मूल्यांकन**
- 4.13 अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान उत्पादन क्षमता तथा किसी पाइपलाइन क्षमता का प्रौद्योगिकी/ईंधनवार वर्गीकरण करेगा जिसे अनुकूलन ऊर्जा मिश्र की प्राप्ति के लिये तथा विद्युत मांग में वृद्धि की पूर्ति हेतु नियोजित किया गया है।
- 4.14 उच्च मांग मौसमों के दौरान शीर्ष भार की पूर्ति हेतु परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकरण हेतु तथा विभिन्न भण्डारण प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने हेतु भी अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न परिदृश्यों के अनुरूप संसाधन योजना विकसित करेगा।
- 4.15 लागत-अनुकूलन संसाधन योजना विकसित करते समय परिवर्तनीय लागत, संयन्त्र के उपयोगी जीवनकाल अथवा विद्युत क्रय अनुबन्ध की समाप्ति तक, तकनीकी न्यूनतम, उपरिकाल (अपटाइम)/अधोकाल (डाऊनटाइम), इकाई वचनबद्धता प्रतिबन्धों जैसे कारकों पर भी विचार किया जाएगा।

- 4.16 विद्युत की उपलब्धता के प्राक्कलन हेतु क्रियाशील राज्य/केन्द्रीय ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के पूर्व तीन वर्षों के संयन्त्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) निष्पादन पर विचार किया जाएगा। समस्त नवीन/उदीयमान ताप परियोजनाओं हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक पर विचार राज्य/केन्द्रीय टैरिफ विनियमों में प्रदत्त मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।
- 4.17 विद्यमान सौर तथा गैर-सौर विद्युत संयन्त्रों का क्षमता उपयोग कारक (CUF) संयन्त्र के पूर्व निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। नवीन/उदीयमान परियोजनाओं के क्षमता उपयोग कारक (CUF) का प्राक्कलन संयन्त्र के विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) के आधार पर किया जाएगा।
- 4.18 जल विद्युत संयन्त्रों से उपलब्धता के अनुमान हेतु अनुज्ञप्तिधारी पूर्व वर्षों के वर्षा के पैटर्न तथा तत्सम्बन्धित वास्तविक माहवार ऊर्जा उपलब्धता के साथ संबंधित जलाशय प्राधिकरण से उसके जल निकासी कार्यक्रम के लिये तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा राज्य उत्पादन कम्पनी से परामर्श करेगा जो तदनुसार आने वाले वर्षों के लिये ऊर्जा की मात्रा के प्राक्कलन हेतु विद्युत उत्पादन में मौसमी परिवर्तन को प्रतिबिंबित करेगा।
- 4.19 क्रियाशील राज्य/केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों हेतु सहायक विद्युत खपत का अवधारण पिछले तीन वर्षों के निष्पादन के आधार पर किया जाएगा। नवीन/उदीयमान विद्युत परियोजनाओं हेतु सहायक खपत का अवधारण राज्य/केन्द्रीय विद्युत-दर (टैरिफ) विनियमों में निर्धारित किये गये अनुसार मानदण्डीय मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा।
- 4.20 नवीकरणीय ऊर्जा संयन्त्रों से अधिप्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा का अवधारण यथासंशोधित मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण- द्वितीय) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्ध (RPO) प्रक्षेप-वक्र (ट्रेजेक्टरी) पर विचार करते हुए किया जाएगा।
- 4.21 ऊर्जा की उपलब्धता को प्राक्कलित करते समय, अनुज्ञप्तिधारी व्यस्ततम अवधियों के दौरान विद्युत की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य के स्वामित्व वाली जनोपयोगी सेवाओं (यूटिलिटी) के साथ अधिकोषण (बैंकिंग)/विद्युत विपणन (मार्केट) तथा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं जैसे विकल्पों की खोजबीन भी करेगा।
- 4.22 आवश्यकता, विद्युत-क्रय की लागत के औचित्य तथा दक्ष, मितव्ययी तथा एक समान विधि की कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कोई भी नवीन क्षमता व्यवस्था/गठबन्धन (टाई-अप) आयोग के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन किया जाएगा।
- 4.23 विभिन्न स्रोतों से दीर्घ/मध्यम/लघु-अवधि हेतु विद्युत सम्बंधी समस्त अधिप्राप्ति केन्द्र सरकार /आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/नियमों/विनियमों/नीतियों के अनुसार की जाएगी।
- 4.24 दीर्घ/मध्यम-अवधि हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित कोई भी नवीन विद्युत क्रय अनुबन्ध (पीपीए) या विद्यमान दीर्घ/मध्यम अवधि विद्युत क्रय अनुबन्धों/विद्युत विक्रय अनुबन्ध (पीएसए) में संशोधन आयोग की पूर्व अनुमति के अध्यधीन किये जा सकेंगे :

परन्तु यह कि दीर्घ-अवधि क्रय संबंधी प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस प्रकार की गई अधिप्राप्ति के तत्संबंधी विवरण 45 दिवस के भीतर आयोग के सूचनार्थ प्रस्तुत करने होंगे।

- 4.25 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत अधिप्राप्ति योजना के साथ विभिन्न पारम्परिक विद्युत संयन्त्रों तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के साथ निष्पादित विद्युत क्रय अनुबन्धों की सूची प्रस्तुत की जाएगी।

भाग –पांच

विद्युत क्रय में विसंगति पाया जाना

- 5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अनुसार वर्ष के दौरान विद्युत अधिप्राप्ति योजना के अलावा भी अतिरिक्त विद्युत अधिप्राप्ति कर सकेगा :

परन्तु यह कि जहां वर्ष के दौरान विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि या किसी अनुमोदित स्रोत से विद्युत अपूर्ति में कमी या हास पाया जाना सन्निहित हो या विद्यमान गठबन्धन स्रोतों से विद्युत की प्राप्ति अन्य वैकल्पिक स्रोतों की तुलना में खर्चीली हो जाए तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत की अधिप्राप्ति या व्यवस्था हेतु अतिरिक्त अनुबन्ध निष्पादित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जब आकस्मिक परिस्थितियां समक्ष उपस्थित हो जाएं तथा वितरण प्रणाली की स्थिरता की आशंका सन्निहित हो या फिर राज्य भार प्रेषण केन्द्र/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ग्रीड की विफलता की रोकथाम हेतु इस बाबत निर्देशित किया जाए या आपात परिस्थितियों में तथा लघु-अवधि आधार पर अन्य राज्यों के साथ अधिकोषण (बैंकिंग) हेतु आयोग के पूर्वानुमोदन के बगैर भी विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक लघु-अवधि व्यवस्था या अनुबन्ध निष्पादित कर सकेगा। इस प्रकार के लघु-अवधि क्रय संबंधी विवरण ऐसी अध्याप्ति के 45 दिवस के भीतर आयोग की जानकारी हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे।

भाग छः

वेबसाइटों पर जानकारी की स्थापना

- 6.1 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मासिक/साप्ताहिक/दिवस-पूर्व/दिवस के अन्तर्गत विद्युत संबंधी अधिप्राप्तियों/विक्रय तथा विद्युत उत्पादक अनुसूची को अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइटों पर ऐसी अधिप्राप्तियों/विक्रय के 30 दिवस की अवधि के भीतर चालू तथा अभिलेखित आकड़ों तक सुलभ पहुंच के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
- 6.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र भी प्रत्येक विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण पुंज (एमओडी स्टैक) मय प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत के अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

भाग –सात

समर्पित प्रकोष्ठ का गठन

7. वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस विनियम के प्रभावशील होने के तीन माह के भीतर विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु एक नियोजन प्रकोष्ठ (Planning Cell) का गठन किया जाएगा। प्रकोष्ठ द्वारा वांछित योग्यता तथा ऊर्जा पूर्वानुमान लगाने हेतु उचित उपकरण धारित किये जाने चाहिए। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक अन्य चौबीस घंटे संचालित होने वाले समर्पित प्रकोष्ठ का गठन भी

वास्तविक समय (रियल टाइम) के भीतर विद्युत क्रय/विक्रय हेतु किया जाएगा जो दिवस-अन्तर्गत, दिवस-पूर्व, सप्ताह पूर्व पावर एक्सचेंजों तथा अन्य साधनों के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति का दायित्व भी निर्वहन करेगा। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा समर्पित प्रकोष्ठ के कार्य संचालन हेतु इस विनियम के अभिप्राय से संरेखित उचित दिशा-निर्देशों की संरचना की जाएगी तथा इन विनियमों के लागू होने से 45 दिवस के भीतर आयोग को इस बारे में अवगत कराया जाएगा।

भाग -आठ

मूल्यांकन हेतु परामर्शियों को सन्निहित करने बाबत आकलन

8. वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत अधिप्राप्ति योजना को राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कम्पनियों, अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कम्पनियों तथा पारेषण (ट्रांसमिशन) कम्पनियों, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से तैयार करेगा। उसके द्वारा इस संबंध में ट्रेडिंग कम्पनियों तथा राज्यों से व्यस्ततम, अव्यस्ततम तथा सामान्य समयावधियों बाबत अधिशेष विद्युत की संभावित उपलब्धता तथा विद्युत के मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु राष्ट्रव्यापी पूछताछ भी की जाएगी।

भाग -नौ

विविध

क. विनियमों का परिपालन न किया जाना :

- 9.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों का परिपालन न किये जाने की दशा में, ऐसा अर्थदण्ड जो कि आयोग उचित समझे, के साथ-साथ, वह स्व-प्रेरणा कार्यवाही विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार प्रारंभ कर सकेगा।

ख. आदेशों को जारी करना तथा व्यावसायिक निर्देश :

- 9.2 विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों तथा इन विनियमों के अध्यक्षीन आयोग समय-समय पर इन विनियमों को लागू करने तथा प्रक्रिया जिसका परिपालन किया जाना है, के सम्बंध में आदेश तथा व्यावसायिक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा।

ग. कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां :

- 9.3 इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर, आयोग किसी सामान्य तथा विशेष आदेश द्वारा, जो कि अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादकों, अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच के क्रेताओं को समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग के विचार में कठिनाइयां दूर करने में आवश्यक तथा वांछनीय हों।
- 9.4 निर्बाध (खुली) पहुंच के क्रेता, उत्पादक, अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आयोग को एक आवेदन की प्रस्तुति द्वारा इन विनियमों की किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने हेतु जो इन विनियमों के क्रियान्वयन से उत्पन्न हुई हों, हेतु उचित आदेश की प्राप्ति हेतु अभिव्यक्ति कर सकेगा।

घ. संशोधन के अधिकार

9.5 आयोग समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन आवश्यक प्रक्रिया के परिपालन पश्चात् कर सकेगा।

ङ. निरसन एवं व्यावृत्ति :

9.6 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अर्न्तनिहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिए जारी करना आवश्यक है सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।

9.7 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के प्रावधानों से अन्यथा हो।

9.8 इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों को उस प्रकार से, जैसे वह उचित समझे, निर्वर्तित कर सकेगा।

9.9 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम (पुनरीक्षण-1), 2006 जो अधिसूचना क्रमांक 992-मप्रविनिआ-2006 दिनांक 10.04.2006 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, सहपठित समस्त संशोधनों के जो विनियम की विषयवस्तु से प्रयोज्य हों, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

टीप : इस विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया (द्वितीय पुनरीक्षण) विनियम, 2023 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

12	रेलवे/खुली पहुंच उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा का परिवहन (जैसा कि लागू हो)																		
13	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पहुंच, रेलवे को सम्मिलित करते हुए)-प्रतिबंधित																		
14	प्रणाली की बाध्यताओं के कारण आपूर्तिविहीन (unsupplied) ऊर्जा (मिलियन यूनिट)																		
15	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पहुंच, रेलवे को छोड़कर)-अप्रतिबंधित																		
16	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पहुंच, रेलवे को सम्मिलित करते हुए)-अप्रतिबंधित																		
17	विद्युत वितरण कम्पनी का व्यस्ततम भार (पीक लोड) (मेगावाट) (खुली पहुंच, रेलवे को छोड़कर)																		
18	विद्युत वितरण कम्पनी का व्यस्ततम भार (पीक लोड) (मेगावाट) (खुली पहुंच, रेलवे को सम्मिलित करते हुए)																		
19	प्रणाली भार कारक (System Load Factor)																		

टीप : 1. मांग पूर्वानुमान को रेखाचित्रों (ग्राफों) के साथ संलग्न किया जाएगा जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता श्रेणी हेतु वार्षिक मांग प्रतिमान (पेटर्न) को दर्शाया जाएगा।

2. मांग पूर्वानुमान की गणना मप्रविनिआ (विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति प्रक्रिया) विनियम 2022 के विनियम क्रमांक 4.5 से 4.21 के अनुसार की जाएगी।
3. यदि अपनाई गई क्रियाविधि आंशिक अन्तिम उपयोग विधि (PEUM) से पृथक हो तो मांग पूर्वानुमान के बारे में उपरोक्त प्रारूप में परिवर्तन किया जा सकेगा।

प्ररूप-2

उपभोक्ता श्रेणीवार पूर्वानुमान : विद्युत वितरण कम्पनी (विद्युत वितरण कम्पनी का नाम : _____)

क्रमांक	विवरण	पूर्व वर्षों हेतु वास्तविक			चालू वर्ष या आधार वर्ष	प्रक्षेपण		
		वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-n		वर्ष-1	वर्ष-2 वर्ष-5
1	उपभोक्ता श्रेणी का नाम : (खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार)							
2	उपभोक्ताओं की संख्या							
3	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
4	संयोजित मार (किलोवाट)							
5	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
6	ऊर्जा की खपत (मिलियन यूनिट)							
7	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
8	विशिष्ट ऊर्जा की खपत (किलोवाट ऑवर)							
9	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
10	परिचालन की अवधि (घंटे) (जैसा कि लागू हो)							
11	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							
12	पूर्वानुमान के दौरान सुविचारित अन्य कोई मापदण्ड (Parameter)							
13	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)							

टीप : 1. श्रेणीवार पूर्वानुमान को रेखाचित्रों (ग्राफों) के साथ संलग्न किया जाएगा जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता श्रेणी हेतु वार्षिक मांग प्रतिमान (पेटर्न) को दर्शाया जाएगा।

2. मांग पूर्वानुमान की गणना मप्रविनिआ (विद्युत क्रय एवं अध्यापित प्रक्रिया) विनियम 2022 के विनियम 4.5 से 4.12 के अनुसार की जाएगी।

प्ररूप-3

विद्युत आपूर्ति प्रक्षेपण-संक्षेपिका विवरण-पत्र (पंचवर्षीय अवधि)

क्रमांक	विवरण	प्रक्षेपण				
		वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
1	ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (एक्स-बस)					
2	विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) (मिलियन यूनिट) हेतु					
3	राज्य हेतु (खुली पहुंच तथा रेलवे को सम्मिलित करते हुए) (मिलियन यूनिट)					
4	ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट)					
	मग्न जेनको ताप विद्युत संयन्त्र					
	मग्न जेनको जल विद्युत संयन्त्र					
	इन्दिरा सागर परियोजना, आंकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाएं					
	केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र					
	अल्ट्रा मेगावाट पावर संयन्त्र तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक					
	सौर ऊर्जा की उपलब्धता					
	गैर-सौर ऊर्जा की उपलब्धता					
5	योग (मिलियन यूनिट)					
6	अधिशेष (+)/कमी (-) (मिलियन यूनिट) (5-3)					
7	अधिशेष (+)/कमी (-) (प्रतिशत) (6/1)					
8	अधिकोषण (बैंकिंग)/पावर मार्केट (जैसा कि लागू हो)					
9	उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)					
	-मग्न जेनको ताप विद्युत					

10									

टीप : 1. राज्य हेतु मासिक विद्युत आपूर्ति पूर्वानुमान पृथक से प्रस्तुत किया जाए।
2. विद्युत आपूर्ति की स्थिति के साथ वार्षिक तथा मासिक प्रतिमान (सेटनी) दर्शाने वाले रेखाचित्र (ग्राफ) भी संलग्न किए जाएं।

कुल (मेगावाट)

प्ररूप-4

व्यस्ततम अवधि (पीक) हेतु विद्युत आपूर्ति प्रक्षेपण-संक्षेपिका विवरण-पत्र (पंचवर्षीय अवधि)
व्यस्ततम घंटे (प्रातःकाल/दिन में/सायंकाल)

क्रमांक	विवरण	प्रक्षेपण				
		वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5
1	शीर्ष भार (मेगावाट) (मध्यप्रदेश राज्य सीमा के अंतर्गत)					
2	विद्युत वितरण कम्पनियों तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) (मिलियन यूनिट) हेतु					
3	राज्य हेतु (खुली पट्टी तथा रेलवे को सम्मिलित करते हुए (मिलियन यूनिट)					
4	व्यस्ततम अवधि (पीक) हेतु उपलब्धता (मिलियन यूनिट)-प्रातःकाल/दिन में/सायंकाल					
	मग्न जनको ताप विद्युत संयन्त्र					
	मग्न जनको जल विद्युत संयन्त्र					
	इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना तथा अन्य जल विद्युत					
	केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र					
	अल्ट्रा मेगावाट पावर संयन्त्र तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक					
	सौर ऊर्जा की उपलब्धता					
	गैर-सौर ऊर्जा की उपलब्धता					
	अधिकोषण (बैंकिंग)/पावर मार्केट के माध्यम से उपलब्धता					
5	व्यस्ततम अवधि (पीक) हेतु उपलब्धता (बैंकिंग/पावर मार्केट को छोड़कर)					
6	व्यस्ततम अवधि (पीक) हेतु उपलब्धता (बैंकिंग/पावर मार्केट को सम्मिलित करते हुए)					
7	अधिशेष (+)/कमी (-) (बैंकिंग/पावर मार्केट को छोड़कर)					
8	अधिशेष (+)/कमी (-) (बैंकिंग/पावर मार्केट को सम्मिलित करते हुए)					

- टीप : 1. राज्य हेतु प्रातःकाल/दिन में/सायंकाल मासिक व्यस्ततम उपलब्धता पूर्वानुमान पृथक से प्रस्तुत किया जाए।
2. विद्युत प्रदाय की स्थिति के साथ कम्पनी द्वारा भार अनुसंधान (Load Research) के आधार पर वार्षिक या मासिक 24 घंटे भार प्रतिमान (पैटर्न) को आवश्यक रूप से संलग्न किया जाए।

प्ररूप-5

उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता-संक्षेपिका विवरण-पत्र (मेगावाट)

वर्ष :

क्रमांक	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
1	राज्य की विद्युत उत्पादन कम्पनियां													
2	राज्य के जल उत्पादन संयंत्र													
3	संयुक्त उपक्रम तथा अन्य जल विद्युत संयंत्र													
4	केन्द्रीय क्षेत्र													
5	स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक													
6	नवीकरणीय ऊर्जा													
	सौर													
	पवन													
	अन्य													
7	मध्यप्रदेश राज्य हेतु उपलब्ध कुल विद्युत उत्पादन क्षमता													

टीप : उपरोक्त प्ररूप को पांच वर्षों की सम्पूर्ण अवधि हेतु प्रत्येक राज्य/केन्द्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से संयन्त्रवार उपलब्धता के आधार पर भरा जाए।

प्ररूप-9

मांग पूर्वानुमान में विचलन-संक्षेपिका वितरण-पत्र-विद्युत वितरण कम्पनीवार (विद्युत वितरण कम्पनी का नाम _____)

क्रमांक	विवरण	पूर्व वर्ष योजना के अनुसार अनुमोदित (1)	वास्तविक (2)	विचलन (2)-(1)	विचलन हेतु कारण
1	ऊर्जा का विक्रय-मिलियन यूनिट (उपभोक्ता श्रेणीवार खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार)				
2	कुल ऊर्जा का विक्रय (मिलियन यूनिट)-(समस्त उपभोक्ता श्रेणियों का संचयी (Cumulative))				
3	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)				
4	राज्य पारेषण तथा वितरण हानियां-प्रतिशत में				
5	राज्य पारेषण तथा वितरण हानियां-मिलियन यूनिट में				
6	विद्युत प्रदाय/आवश्यकता, विद्युत वितरण कम्पनी की सीमा पर (मिलियन यूनिट)				
7	वर्ष-दर-वर्ष विकास दर/संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)-जैसा कि लागू हो (%)				
8	पारेषण हानि (राज्यान्तरिक + अन्तरराज्यीय) प्रतिशत में				
9	पारेषण हानि (राज्यान्तरिक + अन्तरराज्यीय) मिलियन यूनिट में				
10	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पट्टी उपभोक्ताओं, रेलवे को छोड़कर)-प्रतिबंधित				
11	एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लि. का विशेष आर्थिक परिसेत्र (SEZ) को विक्रय (जैसा कि लागू हो)				
12	रेलवे/खुली पट्टी उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा का परिक्रम (जैसा कि लागू हो)				
13	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पट्टी, रेलवे को सम्मिलित करते हुए)-प्रतिबंधित				
14	प्रणाली की बाध्यताओं के कारण आपूर्तिविहीन (unsupplied) ऊर्जा (मिलियन यूनिट)				
15	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पट्टी, रेलवे को छोड़कर)-अप्रतिबंधित				

16	विद्युत वितरण कम्पनी की एक्स-बस आवश्यकता (मिलियन यूनिट) (खुली पहुंच, रेलवे को सम्मिलित करते हुए)-अप्रतिबंधित					
17	विद्युत वितरण कम्पनी का व्यस्ततम भार (पीक लोड) (मेगावाट) (खुली पहुंच, रेलवे को छोड़कर)					
18	विद्युत वितरण कम्पनी का व्यस्ततम भार (पीक लोड) (मेगावाट) (खुली पहुंच, रेलवे को सम्मिलित करते हुए)					
19	प्रणाली भार कारक (System Load Factor)					

प्ररूप-10

विद्युत आपूर्ति स्थिति में विचलन

क्रमांक	विवरण	पूर्व वर्ष योजना के अनुसार अनुमोदित (1)	वास्तविक (2)	विचलन (2)-(1)	विचलन हेतु कारण
1	ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट)				
	मप्र जेनको ताप विद्युत संयन्त्र				
	मप्र जेनको जल विद्युत संयन्त्र				
	इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना सरदार सरोवर परियोजना तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाएं				
	केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र				
	अल्ट्रा मेगावाट पावर संयन्त्र तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक				
	सौर ऊर्जा की उपलब्धता				
	गैर-सौर ऊर्जा की उपलब्धता				
2	योग (मिलियन यूनिट)				
3	अधिशेष (+)/कमी(-) (मिलियन यूनिट)				
4	अधिशेष (+)/कमी(-) (प्रतिशत)				
5	अधिकोषण (बैंकिंग)/पावर मार्केट (जैसा कि लागू हो)				
6	उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)				
	--मप्र जेनको ताप विद्युत				
	--मप्र जेनको जल विद्युत				
	--इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना सरदार सरोवर परियोजना तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाएं				

Bhopal, the 17th February 2023

No. 378/ MPERC-2022. In exercise of the powers conferred under sub section (1) of section 181 read with clause (b) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, proposes to revise the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Purchase and Procurement Process) Regulations, Revision I, 2006.

Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Purchase and Procurement Process) Regulations, 2023 {RG-19(II) of 2023}

Part I – General

1. Short title and commencement. -

- 1.1 These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Purchase and Procurement Process) Regulations, 2023 {RG-19(II) of 2023}".
- 1.2 These Regulations shall apply to all the Distribution Licensees in the territory of the State of Madhya Pradesh and shall be applicable to all purchases of power from Conventional and Renewable sources of energy made or proposed to be made by a Distribution Licensee.
- 1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Part II – Definitions

2. Definitions

- 2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires,
 - a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - b) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
 - c) "Long-term Power Procurement" means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration exceeding five years;
 - d) "Medium-term Power Procurement" means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration exceeding three months and upto five years;
 - e) "Month" means a calendar month as per the British Calendar;

- f) **“Power Exchange”** means any Exchange operating as power exchange for electricity in terms of the guidelines issued by the Central Electricity Regulatory Commission;
- g) **“Power Purchase Agreement (PPA)”** means the agreement entered into between the Procurer and the Seller pursuant to which the Seller shall supply power to the Procurer as per the terms and conditions specified therein;
- h) **“Power Sale Agreement (PSA)”** shall mean the back-to-back agreement entered into between the Buying Entity and the Intermediary Procurer/Trader for onward sale of power purchased under any Power Purchase Agreement;
- i) **“Short-term Power Procurement”** means procurement of power under any arrangement or agreement with a term or duration upto 3 months; and
- j) **“Year”** means a financial year commencing on 1st April of the year and ending on 31st March of the succeeding year.

2.2 Words and expressions which are not defined in these Regulations shall have the same meaning as assigned to them in the Act or Regulations/ Codes of the Commission. In case of any inconsistency between these Regulations/Codes and the Act, the meaning assigned to them in the Act shall prevail.

Part III – Power Procurement Plan

- 3.1 The Distribution Licensee shall prepare the Power Procurement Plan comprising of resource planning to optimize supply resources economically for a period of 5 years with due regard to requirement of electricity in its area of supply and submit a rolling 5-year plan every year duly revising the projections and plans for the ensuing years to the Commission. The plan may include long-term, medium-term and short-term sources of power purchases as per demand – supply position in accordance with these Regulations.
- 3.2 The Power Procurement plan shall be a long-term forecast for power demand and energy requirement considering the need for development of long-term / medium-term / short-term Power Purchases Agreement /arrangements with:
- a) State-owned old as well as new generation sources;
 - b) Central sector Plants;
 - c) Independent Power Producers (IPPs);
 - d) Captive Power Plants;

- e) Renewable Power Plants including Co-gen Plants;
- f) Power Trading Companies;
- g) Procurement through Market / Power Exchange;
- h) Storage options such as Battery Energy Storage System, Pump Storage Projects etc.;
- i) Banking of power with other States; and
- j) Any other source.

Part IV – Framework for Power Procurement Planning

- 4.1 The Distribution Licensee shall submit the Power Procurement Plan along with necessary supporting documents and formats (attached as Annexure to these Regulations) every year on or before 31st July to the Commission:

Provided that initial power procurement plan after notification of these Regulations shall be submitted by the Distribution Licensees for a time period aligned with the Control period of MPERC MYT Regulations.

- 4.2 The 5-year rolling plan shall be comprised of the following, namely : -

- a) Category wise monthly sales along with monthly and yearly energy requirement (Million Units) for each year.
- b) Assessment of monthly and yearly availability from State owned stations and purchases from all stations or sources with which Licensee has long-term/medium-term Power Purchase Agreement.
- c) Assessment of the demand-supply gap considering peak, and off- peak periods (as per daily/monthly load curve) and plans to bridge the deficit and resource planning accordingly.
- d) Quantum of purchase to be made from Renewable Energy Plants considering the approved Renewable Purchase Obligation (RPO)trajectory to meet the RPO requirement as specified in the MPERC (Co-generation and generation of electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-II) Regulations 2021 and amendments thereof.
- e) The demand forecast and assessment of availability shall be as detailed out in Regulations 4.5 to 4.21 below.

f) Deviation from projections as submitted for previous years along with reasons for such deviations.

4.3 While examining the plan, the Commission may call for such additional information and data as it may deem necessary to examine the Power Procurement Plan and the Distribution Licensee shall furnish such information, as and when required by the Commission. During technical validation, the Licensee shall demonstrate the power procurement forecast methodology.

4.4 The Commission shall provide in-principle approval to the plan submitted by the Licensees.

A. Demand and Energy Forecast:

4.5 The forecasting for demand and energy requirement shall be based on trends and statistical analysis of historical data of at least past 7-10 years.

4.6 Category wise (as per retail supply tariff order) monthly sales projections along with monthly and yearly energy requirement forecast shall be done considering the year-on-year growth/Compound Annual Growth Rate (CAGR) for past period and time series analysis. The Licensee shall also carry out Load Research studies of various consumer categories to understand their consumption pattern and how diversity in their usages helps in aligning demand curve with power availability curve.

4.7 While forecasting the demand:

1) Licensee shall use IT Tools to minimize human intervention to arrive at realistic figures by adopting the approach such as Partial End Use Method (PEUM) or other models like Econometric Analysis through use of economic parameters such as growth in Gross Domestic Product(GDP), per capita income, penetration of appliances, growth in electricity-intensive industries etc.

2) State specific customized artificial intelligence (AI) tools using deep/machine learning may also be used for Forecasting Demand and Energy Requirement.

3) The effectiveness of tool used along with measures taken to improve accuracy shall be shared with the Commission along with power procurement plan every year during technical validation.

4.8 The effect of important festivals, working days or non-working days, Peak and Off-peak hours load pattern, seasonal variations, rabi/kharif season shall also be considered.

- 4.9 While estimating the sales for consumer categories, the Licensee shall consider the growth in number of consumers for categories, expected increase in connected load (kW), applications for load enhancement/load reduction/new connections/disconnections and the month-wise energy consumption for each consumer category. The inputs received from Government Bodies viz. Water Works, Agriculture etc. shall also be considered.
- 4.10 For agricultural loads, the season wise change in load, temperature, area wise rainfall pattern, impact of water level in agricultural pockets, irrigation facilities, area wise type of crop like Paddy, Cummins, Moong etc., power supply pattern for agriculture loads and variation in load pattern during agriculture season shall be taken into account to accurately estimate their requirement. In case more than one crop is being taken, its impact shall also be considered.
- 4.11 The Ex-bus requirement of Discoms' demand and energy forecast shall also be done considering sale to such other Distribution Licensees procuring power from Discoms.
- 4.12 Other factors that need to be considered during estimation of demand and energy requirement are impact due to:
- a) Storage capacities like Batteries, Pump Storage Projects, Electric Vehicle charging stations etc.;
 - b) Sale to railways and open access consumers;
 - c) Decentralized renewable energy plants set up under various initiatives.
 - d) Implemented energy efficiency schemes;
 - e) Demand side management, demand response program for instance, load shifting from non-sunny hours to sunny hours for maximum utilization of solar resource; and
 - f) Demand due to new schemes implemented by GoMP/Central Government.

B. Assessment of Availability:

- 4.13 The Licensee shall carry out technology/fuel wise categorization of existing generation capacity and any pipeline capacity which has been planned to be added to get an optimal energy mix to meet the rise in power demand.
- 4.14 The Licensee shall develop a resource plan with different scenarios for RE integration with conventional power sources and adoption of different storage technologies to meet the peak load during high demand seasons.

- 4.15 While developing a cost-optimal resource plan, factors such as variable cost, useful life of plant or till expiration of PPA, technical minimum, up-time/down-time, unit commitment constraints may also be considered.
- 4.16 The Plant Availability Factor (PAF) of operational State/ Central Thermal Generating stations and Independent Power Producers (IPPs) shall be considered based on past performance for last 3 years to estimate the availability of power. PAF for all new/upcoming thermal projects shall be considered as per norms provided in State/Central Tariff Regulations.
- 4.17 The Capacity Utilization Factor (CUF) of existing solar and non-solar power plants shall be considered on the basis of past performance of the plant. For new/upcoming projects the CUF shall be estimated as per PPA of the plant.
- 4.18 For estimating availability from Hydro Power Plants (HPPs), the Licensee shall also consider past years rainfall pattern and corresponding actual month wise energy availability in consultation with concerned Reservoir Authority for their water discharge programme along with State Load Dispatch Center (SLDC) and State Generating Company, thereby reflecting the seasonal variation in generation pattern for estimating the quantum of energy for forthcoming years.
- 4.19 For operational State/Central Generating Stations and IPPs, the Auxiliary Consumption shall be determined based on past performance for last 3 years. For new/upcoming power projects the Auxiliary Consumption shall be determined based on normative parameters as laid down in State/Central Tariff Regulations.
- 4.20 The quantum of energy to be procured from renewable energy plants shall be determined considering the RPO trajectory in the MPERC (Co-generation and generation of electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-II) Regulations 2021 and amendments thereof.
- 4.21 While estimating the energy availability, the Licensee shall explore other options like banking/power market and bilateral arrangements with other state-owned utilities to ensure power availability during Peak Periods.
- 4.22 Any new Capacity arrangement/tie-up shall be subject to the prior approval of the Commission in view of necessity, reasonableness of cost of power purchase and promotion of working in an efficient, economical and equitable manner.

4.23 All procurement of long / medium / short-term power from various sources shall be carried out as per the Guidelines / Rules / Regulations / Policies issued by the Central Government/Commission from time to time.

4.24 Any new power purchase agreement for long/medium-term or amendments to existing long/medium-term Power Purchase Agreements (PPA's)/ Power Sale Agreement (PSA) entered into by the Distribution Licensee shall be subject to the prior approval of the Commission:

Provided that in case of short-term purchases, the Licensees shall submit details within 45 days of such procurement for information of the Commission.

4.25 Distribution Licensees shall submit the list of all existing Power Purchase Agreements executed with different conventional power plants as well as RE Generators along with the Power Procurement Plan.

Part V-Variation in Power Purchase

5. The Distribution Licensee may undertake additional power procurement during the year, over and above the power procurement plan, in accordance with these Regulations:

Provided further that where there has been an unanticipated increase in the demand for electricity or a shortfall or failure in the supply of electricity from any approved source of supply during the year or when the sourcing of power from existing tied-up sources becomes costlier than other available alternative sources, the Distribution Licensee may enter into additional agreement or arrangement for procurement of power:

Provided that the Distribution Licensee may enter into a short-term arrangement or agreement for procurement of power when faced with emergency conditions that threaten the stability of the distribution system, or when directed to do so by the SLDC/RLDC to prevent grid failure or during exigency conditions and for banking with other states on short-term basis without prior approval of the Commission. The details of such short-term purchases shall be submitted within 45 days of such procurement for information of the Commission.

Part VI-Placing of information on websites

6.1 The monthly/weekly/day-ahead/intraday power procurements/sale by the Licensees and generator schedule shall be made available on the websites of the Licensees and SLDC within 30 days of such procurements/sale with ease of access to the current as well as archived data.

- 6.2 SLDC shall also publish the monthly Merit Order Dispatch (MoD) stack along with per unit variable cost of each generating station in its website.

Part VII Constitution of dedicated cells

- 7 The Distribution Licensees shall establish a planning cell for power procurement within three months from the Regulation coming into force. The cell shall have the requisite capability and tools for energy forecast. Another round the clock dedicated cell shall also be constituted by the Distribution Licensees for power purchase/sale in real-time, and also undertake intra-day, day-ahead, week ahead power procurement through Power Exchanges or any other means. The Licensees shall frame suitable guidelines for the modus operandi of the dedicated cells in line with the spirit of this Regulation and shall apprise the Commission for the same within 45 days from the coming into force of these Regulations.

Part VIII-Assessment to involve consultation

- 8 The Distribution Licensee shall make the power procurement plan in consultation with State sector Generating Companies, other Distribution Licensees, MPPMCL, Central sector Generating Companies and Transmission Companies, National / Regional Load Dispatch Centres, Central Electricity Authority. It shall also make enquiries with the Trading Companies and States with surplus power to estimate the likely availability and price of power across the country for peak, off-peak and normal periods.

Part IX – Miscellaneous

A. Non-Compliance of these Regulations:

- 9.1 In the event of the Distribution Licensee not complying with these Regulations, the Commission, in addition to imposing such penalty as it may deem fit, may initiate Suo-Motu proceedings as per appropriate provisions of the Electricity Act 2003.

B. Issue of Orders and Practice Directions:

- 9.2 Subject to the provisions of the Electricity Act 2003 and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of the regulations and procedure to be followed.

C. Powers to Remove Difficulties:

- 9.3 If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, direct the SLDC, Generators, Licensees and the Open Access Customer, to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.
- 9.4 The Open Access Customers, Generators, Licensees and SLDC may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulty that may arise in implementation of these Regulations.

D. Power to amend:

- 9.5 The Commission may from time to time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations after following the necessary procedures.

E. Repeal and Savings:

- 9.6 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
- 9.7 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 9.8 Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.
- 9.9 The MPERC (Power Purchase and Procurement Process) Regulations, Revision-1, 2006 published vide Notification No. 992/MPERC/2006 dated 10/04/2006 in the official Gazette and read with all amendments thereto, as applicable to the subject matter of this regulation are hereby superseded.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

Format-1

Demand Forecast (Summary Statement) - Discom wise (Name of Discom: _____)

No.	Particulars	Actual of Previous Years				Current Year or Base Year	Projections		
		Yr-1	Yr-2	...Yr-n	Yr-1		Yr-2	...Yr-5	
1	Energy Sale - MUs (Consumer Category wise as per Retail Supply Tariff Order)								
2	Total Energy Sale (MU) - (Cumulative of all consumer categories)								
3	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
4	ST & D losses - in %								
5	ST & D losses - in MU								
6	Supply / Requirement at DISCOM Boundary(MU)								
7	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
8	Transmission Loss (intra +inter-state) in %								
9	Transmission Loss (intra +inter-state) in MU								
10	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (excluding OACs, Railways) - RESTRICTED								
11	Sale by MPPMCL to SEZ (as applicable)								
12	Energy Wheeled for Railways/OA Consumers (as applicable)								
13	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (including OA, Railways) -RESTRICTED								
14	Unsupplied energy due to system constraints (MU)								
15	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (excluding OA, Railways) - Unrestricted								
16	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (including OA, Railways) - Unrestricted								
17	Peak load of DISCOM (MW) (excluding OA, Railways)								
18	Peak load of DISCOM (MW) (including OA, Railways)								
19	System Load Factor								

Note: 1. The Demand Forecast would be supported by Graphs showing yearly Consumption Pattern for Consumer Category.

2. The Demand Forecast shall be done in accordance with Regulation No. 4.5 to 4.21 of the MPERC (Power Purchase and Procurement Process) Regulations 2022

3. The above format for furnishing information related to Demand Forecasting is subject to change if methodology adopted for Demand Forecasting is other than PEUM.

Format-2

Consumer Category Wise forecast :- Discom (Name of Discom: _____)

No.	Particulars	Actual of Previous Years				Current Year or Base Year	Projections		
		Yr-1	Yr-2	...Yr-n	Yr-1		Yr-2	...Yr-5	
1	Consumer Category Name:- (as per Retail Supply Tariff Order)								
2	No of consumers								
3	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
4	Connected load (kW)								
5	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
6	Energy consumption (MU)								
7	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
8	Specific energy consumption (kWh)								
9	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
10	Hours of operation (as applicable)								
11	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								
12	Any other parameter considered during forecasting								
13	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)								

Note: 1. The Demand Forecast would be supported by Graphs showing yearly Consumption Pattern for Consumer Category.
2. The Demand Forecast shall be done in accordance with Regulation No. 4.5 to 4.12 of the MPEEC (Power Purchase and Procurement Process) Regulations 2022

Format-3

Power Supply Projections-Summary Statement (5 Year Period)

No.	PARTICULARS	Projections				
		Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5
1	Energy Requirement (MU) (Ex-Bus)					
2	For DISCOMs & SEZ (MU)					
3	For State (including OA & Railways) (MU)					
4	Energy Availability (MU)					
	MP Genco Thermal Plants					
	MP Genco Hydel Plants					
	ISP, OSP, SSP & Other Hydel					
	Central Sector Stations					
	UMPP & IPPs					
	Solar Availability					
	Non-Solar Availability					
5	TOTAL (MU)					
6	Surplus(+)/Deficit(-) (MU) (5-3)					
7	Surplus(+)/Deficit(-) (%) (6/1)					
8	Banking/Power Market (as applicable)					
9	Available Generation Capacity (MW)					
	- MP GENCO Thermal					
	- MP GENCO Hydel					
	- ISP, OSP, SSP & Other Hydel					
	- Central Sector					
	- UMPP & IPPs					
	- Solar plants					
	- Non-solar plants					
10	TOTAL (MW)					

Note: 1. The Monthly Power Supply Forecast for the State needs to be furnished separately
2. The Power Supply Position would be supported by Graphs showing yearly and Monthly Pattern

Format-4

Peak Power Supply Projections-Summary Statement (5 Year Period)

Peak Hours (Morning/Day/Evening)

No.	PARTICULARS	Projections				
		Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5
1	Peak Load (MW) (MP Periphery)					
2	For DISCOMs & SEZ (MW)					
3	For State (including OACs & Railways) (MW)					
4	Peak availability (MW) - (Morning/Day/Evening)					
	MP Genco Thermal Plants					
	MP Genco Hydel Plants					
	ISP, OSP, SSP & Other Hydel					
	Central Sector Stations					
	UMPP & IPPs					
	Solar Availability					
	Non-Solar Availability					
	Availability through banking/Power Market					
5	Peak availability (excluding banking/Power Market)					
6	Peak availability (including banking/ Power Market)					
7	Surplus(+)/Deficit(-) (excluding banking/ Power Market)					
8	Surplus(+)/Deficit(-) (including banking/ Power Market)					

Note: 1. The Monthly Peak Availability Forecast for the State for morning/day/evening needs to be furnished separately

2. The Power Supply Position needs to be supported by Graphs showing yearly or monthly 24 hr load pattern based on Load Research by the Company.

Format-5

Available Generation Capacity- Summary Statement (MW)

No.	Particulars	Year:												Total			
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March				
1	State Generos																
2	State Hydelis																
3	JV and other Hydelis																
4	Central Sector																
5	IPPs																
6	Renewables																
	Solar																
	Wind																
	Others																
7	Total Available Generation Capacity of Madhya Pradesh																

Note: The above format needs to be filled considering the plant wise availability of each State/Central Generating plants, IPPs and other renewable plants for entire 5-year plan.

Format-6

Total Energy Availability projections from Existing Stations- Summary Statement

Name of Project	Type of Project (i.e., Thermal/Hydro/Nuclear/R ES)	SCOD	Capacity (MW)	MP Share		Energy Availability (MU)	Basis of energy availability estimation
				%	MW		
Total							

Note: The Total Energy Availability needs to be furnished for entire 5-year period of the Power Procurement Plan taking into account existing sources

Format-8

Plan for Renewable Purchase Obligation (RPO)

No.	Particulars	Projection				
		Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5
1	Ex-Bus Energy Requirement (MU) (DISCOMs + SEZ)					
2	Anticipated availability from Hydro (MU)					
3	Energy requirement to be considered for RPO(MU)					
a	RPO %					
b	Solar RPO (MU)					
c	Capacity required (MW)					
d	RPO %					
e	Non- Solar RPO (MU)					
f	Capacity required (MW)					
4	Year wise Renewable Capacity already tied up (MW)					
a	Solar (including KUSUM A & KUSUM C)					
b	Non-Solar (including mini hydel)					
c	Total					
5	Year wise Cumulative Renewable Capacity including tied up projects (MW)					
a	Solar Capacity (3c+4a)					
b	Non-Solar Capacity (3f+4b)					
c	Total Capacity (3c+3f+4c)					
	Year wise Total Renewable capacity required to be tied up to fulfill RPO (2+5)					

Format-9

Deviation in Demand Forecast- Summary Statement - Discom wise (Name of Discom: _____)

No.	Particulars	Previous Years approved As per Plan (1)	Actual (2)	Deviation (2-1)	Reasons for deviation
1	Energy Sale - MUs (Consumer Category wise as per Retail Supply Tariff Order)				
2	Total Energy Sale (MU)- (Cumulative of all consumer categories)				
3	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)				
4	ST & D losses - in %				
5	ST & D losses - in MU				
6	Supply / Requirement at DISCOM Boundary(MU)				
7	YoY growth rate/CAGR - as applicable (%)				
8	Transmission Loss (intra +inter-state) in %				
9	Transmission Loss (intra +inter-state) in MU				
10	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (excluding OACs, Railways) - RESTRICTED				
11	Sale by MPPMCL to SEZ (as applicable)				
12	Energy Wheeled for Railways/OA Consumers (as applicable)				
13	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (including OA, Railways) -RESTRICTED				
14	Unsupplied energy due to system constraints (MU)				
15	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (excluding OA, Railways) - Unrestricted				
16	Ex-Bus Requirement of DISCOM (MU) (including OA, Railways) - Unrestricted				
17	Peak load of DISCOM (MW) (excluding OA, Railways)				
18	Peak load of DISCOM (MW) (including OA, Railways)				
19	System Load Factor				

Format-10

Deviation in Power Supply Position

No.	PARTICULARS	Previous Years approved As per Plan (1)	Actual (2)	Deviation (2-1)	Reasons for deviation
1	Energy Availability (MU)				
	MP Genco Thermal Plants				
	MP Genco Hydel Plants				
	ISP, OSP, SSP & Other Hydel				
	Central Sector Stations				
	UMPP & IPPs				
	Solar Availability				
	Non-Solar Availability				
2	TOTAL (MU)				
3	Surplus(+)/Deficit(-) (MU)				
4	Surplus(+)/Deficit(-) (%)				
5	Banking/Power Market (as applicable)				
6	Available Generation Capacity (MW)				
	- MP GENCO Thermal				
	- MP GENCO Hydel				
	- ISP, OSP, SSP & Other Hydel				
	- Central Sector				
	- UMPP & IPPs				
	- Solar plants				
	- Non-solar plants				
7	TOTAL (MW)				